



फार्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }
Form III { see Regulation 7 (1) D (d) }

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएससी/एल - 8003395

Licence No. CRO/QSC/L-8003395

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान/नवीकरणा की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby grants/renew

मिनिस्ट्री आफ स्टील,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली - 110 001

Ministry of Steel,
Udyog Bhavan,
New Delhi - 110 001

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकरणा करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, IS/ISO 9001:2008 अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताएं गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services of process particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

IS/ISO 9001:2008

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधियत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 25 जून 2013 to 24 जून 2016 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा

This licence shall be valid from 25 June 2013 to 24 June 2016, and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2013 के जुलाई माह के सोलहवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित
Signed, Sealed and dated this Sixteenth day of July 2013

Deputy Director General (Central Region)
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS



लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएससी/एल- 8003395

Schedule to Licence No. CRO/QSC/L- 8003395

जारी : मिनिस्ट्री आफ स्टील, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110 001

Issued to : Ministry of Steel, Udyog Bhavan, New Delhi - 110 001

अनुसूची
SCHEDULE

वे उत्पाद सेवाएं प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत/ नवीकृत किया गया है
Products Services/Processes with respect to which the firm has been granted/renew the licence for Quality Management
Systems Certification:

“Planning, Development and Facilitation of setting up of Iron and Steel Production facilities, Development of iron ore mines in the public sector and other related ore mines, Policy formulation regarding Production, distribution, Pricing, Imports and Exports of Iron and Steel and Ferro-Alloys in India and monitoring performance of CPSEs under the Ministry of Steel”

Deputy Director General (Central Region)
भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS